कार्यालय, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )अनु/आकाशि/स्वे.ग्रा.शि.से./2011/3593 दिनांकः–02.02.2011

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः–राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 4 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक अनुदानित कर्मचारियो से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने बाबत ।

संदर्भः– स्कूल शिक्षा विभाग का पत्रांक प.8(29)शिक्षा–5/04 पार्ट II दिनांक 01.02.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डी.ओ.पी./ए–2/2010 दिनांक 25.1.2011 के द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 को दिनांक 01.2.2011 से प्रभावी किया गया है । इसलिये नियम 4 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक अनुदानित कर्मचारियो से आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करावें :–

1. इच्छुक अनुदानित कर्मचारियों से प्रकाशन की तारीख से 15.02.2011 तक कार्यालय समय के दौरान प्रारूप I में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए, अग्रिम प्रति इस विभाग में जमा कराने हेतु निर्देशित करें । अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा नियम लागू होने की दिनांक से पूर्व भी प्रस्तुत किये गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जावें ।
2. इच्छुक अनुदानित कर्मचारियों द्वारा प्रारूप I में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उस पर तुरन्त प्राप्ति दिनांक का अंकन कर उस पर अधिकारी के लघु हस्ताक्षर अंकित करावें ।
3. प्रारूप I में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक के कार्यालय समय पश्चात, आवेदन प्रस्तुत करने वाले अनुदानित कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप में विभागीय दूरभाष नम्बर 0141–2706736 पर फैक्स करावें अथवा व्यक्तिशः आगामी दिवस को प्रातः 10.30 बजे तक प्रस्तुत करावें ।

प्रारूप

संस्था का नाम			
क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	प्राप्ति दिनांक

4. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 15.2.2011 से 10 दिवस के भीतर (अर्थात 16.2.11 से 25.2.11 के दौरान) आवेदित कर्मचारियों का सम्पूर्ण सेवा अभिलेख पृष्ठांकन एवं अनुक्रमणिका के साथ आयुक्तालय को भिजवावें ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )अनु/आकाशि/स्वे.ग्रा.शि.से./2011/ दिनांकः–02.02.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज., जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. समस्त समिति अधिकारी/कर्मचारी गण ।
5. गार्ड फाईल ।

संयुक्त निदेशक (अनु)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर